

Hindi Update on PROS & CONS of Exports with/without Payment of Tax

वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात को ZERO-RATED SUPPLY के रूप में माना जाता है। ZERO RATED SUPPLY में EXPORTER IGST के भुगतान के साथ या उसके बिना UNDERTAKING में निर्यात कर सकता है। निर्यातक IGST की राशि का भुगतान करने के बाद वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की SUPPLY कर सकता है और इस तरह के सामान या सेवाओं या दोनों पर चुकाए गए कर की राशि के रिफंड का दावा कर सकता है। निर्यात बिना GST के भुगतान सामान या सेवाओं या दोनों UNDER BOND या LETTER OF UNDERTAKING के अंतर्गत SUPPLY कर सकता है। फिर UNUTILISED इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी का दावा कर सकता है। यह अपडेट LUT के तहत किए गए निर्यात और कर के भुगतान के साथ REFUND CLAIM के अंतर को जानने के लिए तैयार किया गया है। यह अपडेट निश्चित रूप से सभी करदाताओं को यह तय करने में मदद करेगा कि कौन सा रिफंड का रास्ता अधिक लाभप्रद होगा?

1. **पूँजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट**- जहां IGST का भुगतान करके निर्यात किया जाता है, निर्यातक निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान किए गए IGST के रिफंड का दावा कर सकते हैं। लेकिन बॉन्ड या LUT के तहत किए गए निर्यात के लिए, निर्यातक unutilized इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का दावा कर सकता है। CGST अधिनियम, 2017 की धारा 89 (4) रिफंड राशि की गणना के लिए नीचे निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार रिफंड प्रस्तुत करना पड़ेगा:-

अधिकतम वापसी राशि (Maximum refund amount) = (माल की शून्य-रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर (Supply of goods zero rated turnover + सेवाओं की शून्य-रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर (Supply of service zero rated turnover)) x नेटआईटीसी / समायोजित कुल टर्नओवर (Adjusted Turnover)

नियम 89 (4) के अनुसार ZERO RATED SUPPLY के मामले में REFUND की गणना के लिए एक फार्मूला में NET ITC में से Capital Goods को छोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि करदाता को एल्यूटी के तहत रिफंड दाखिल करते समय CAPITAL GOODS पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति नहीं है। CIRCULAR No. 59/33/2018-GST दिनांक 04-09-2018 के अनुसार तीनों में से जो भी कम होगा वह रिफंड दिया जाएगा: -

A. जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधिकतम रिफंड राशि ।

B जिस अवधि के लिए REFUND का दावा किया गया है, उसकी समाप्ति के दिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में शेष राशि। उदाहरण के लिए, यदि रिफंड जनवरी, 2018 से फरवरी, 2018 से संबंधित है तो 28 फरवरी 2018 को उपलब्ध शेष राशि को ध्यान में रखा जाएगा।

C. रिफंड भरने के समय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में बैलेंस। यानी, यदि REFUND जनवरी, 2019 से फरवरी, 2019 की अवधि के लिए 20/05/2020 को लगाया जाता है, तो 20 मई, 2020 को उपलब्ध शेष राशि को ध्यान में रखा जाएगा।

इसलिए EXPORTER को ON PAYMENT OF IGST करके रिफंड का दावा करना लाभदायक रहेगा क्योंकि इस Refund में CAPITAL GOODS की क्रेडिट पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

2. नियम 89 (4) (सी) में संशोधन के अनुसार प्रतिबंध - वस्तुओं की ZERO RATED SUPPLY के कारण REFUND की गणना के लिए निर्धारित फार्मूले के संबंध में नियम 89 (4) (सी) में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इसमें Letter of undertaking से यदि निर्यातक माल निर्यात करता है तो निर्यात हुए माल के VALUE की गणना के लिए उसको DOMESTIC MARKET में SUPPLY हुए माल से डेढ़ गुना होगी। यदि एक्सपोर्ट DOMESTIC MARKET में GOODS की एक इकाई ₹100000/- में SUPPLY करता है तो उस अवस्था में एक्सपोर्ट में गई उसी प्रकार की इकाई का मूल्यांकन डेढ़ लाख रुपए होगा।

यह प्रावधान निर्यातकों द्वारा किए गए मूल्यांकन पर नजर रखने के लिए डाला गया है। आमतौर पर करदाताओं द्वारा वैश्विक और स्थानीय स्तर पर बेचे जाने वाले सामानों के संबंध में विभिन्न मूल्य निर्धारण रणनीतियों का पालन किया जाता है। विभाग सोचता है कि निर्यात नकदी में अधिक REFUND का दावा करने के लिए निर्यात किए गए सामानों को उच्च कीमतों पर भेज देते हैं और इस प्रकार अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र की आईटीसी को ENCASH करते हैं।

रिफंड मंजूरी के उद्देश्य से समान का मूल्यांकन करते हुए विभाग अलग रणनीति अपनाएगा। सबसे अधिक अप्रत्याशित परिस्थितियों में, करदाताओं द्वारा अपनाए गए तरीके राजस्व अधिकारियों के साथ तालमेल में होंगे। इसका मतलब निर्यातकों के लिए कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध करना होगा क्योंकि करदाताओं को क्लीन चिट देने से पहले विभाग रिफंड जारी नहीं करेगा। इस स्थिति में LUT द्वारा REFUND लेना जोखिम भरा हो जाएगा। इस तरह की कोई भी बाधा IGST REFUND में नहीं है। इसलिए IGST का भुगतान करके REFUND लेना ज्यादा सुविधाजनक है।

3. **जीएसटीआर 2ए- में अंकित इनवॉइस से ज्यादा रिफंड नहीं मिलेगा** -सीबीएसई ने एक सर्कुलर नंबर 135 दिनांक 31.03.2020 जारी किया गया है जिसमें सरकार ने जीएसटी के तहत निर्यात से संबंधित रिफंड के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि ACCUMULATED ITC वापसी उन INVOICES की ITC तक ही सीमित रहेगी, जिसका विवरण निर्यातक के SUPPLIER द्वारा FORM GSTR-1 में अपलोड किया गया है और EXPORTER के FORM GSTR-2A में दर्शाया होता है। सीजीएसटी नियम, 2017 में नियम 36 (4) के अधिनियमित होने के बाद इस स्पष्टीकरण की बहुत आवश्यकता थी। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ACT या RULES में इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ACT OR RULES के विरुद्ध CIRCULAR से कोई प्रावधान डालना ULTRA VIRES तथा VOID ABINITO है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

इस परिपत्र (circular) ने करदाताओं के बीच पहले से ही हड़कंप मचा रखा है क्योंकि पहले से ही मंजूरी की प्रक्रिया में समय लगता है और इस तरह के प्रतिबंधों से उनकी WORKING CAPITAL अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध हो जाएगी। जब नियम 36 (4) 10% अतिरिक्त क्रेडिट की अनुमति देता है तो रिफंड के दावे में इसे कैसे नकारा जा सकता है और वह भी एक CIRCULAR द्वारा। उस के लिए ACT में प्रावधान होना चाहिए।

IGST भुगतान करके REFUND लेने के मामले में ऐसा नहीं है, करदाताओं को भुगतान किए गए IGST का पूरा रिफंड मिलता है।

करदाता को इस मामले में अलग REFUND का आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है और SHIPPING BILL को ही धनवापसी के रूप में माना जाएगा और प्रसंस्करण के बाद करदाता के खाते में REFUND का भुगतान जमा किया जाएगा।

4. **अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता-** हालाँकि हाल ही में जारी किए गए CIRCULARS में विशेष रूप से CIRCULAR NUMBR 125 दिनांक 18.11.2019 और 135 दिनांक 31.03.2020 से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए जीएसटीआर -2 ए, ANNEXURE-B जैसे REFUND आवेदन के साथ होना चाहिए। STATEMENT-B में PURCHASE INVOICES के साथ में INPUTS का HSN बिना आवश्यक होगा। कर के भुगतान के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

कई निर्यातकों के पास धीमी REFUND प्रणाली से निपटने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त पूंजी नहीं है, और इससे उनके लिए अपना व्यवसाय चलाना कठिन हो जाता है। जीएसटी प्रणाली के कार्यान्वयन के

CA. PRADEEP JAIN

Your Need Our Concern

दौरान, जीएसटी COUNCIL उद्योग की चिंताओं को सुन रही है और परिवर्तन कर रही है। इसलिए, उपर्युक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, यह सलाह दी जाती है कि सरकार LUT के तहत REFUND PROCEDURE में बदलाव करे और इसे और अधिक लचीला बनाए।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on <https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/> as well as follow us on twitter at <https://www.twitter.com/@capradeepjain21>.